मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाष 0135-2607092

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 32वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 32वीं बैठक दिनांक 04.09.2024 को सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. डॉ. एस.पी. सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय।
2. डॉ. पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री गजेन्द्र सिंह कफालिया, उप सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री आशुतोष शुक्ला, उप सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
5. डॉ. प्रकाश चौहान, स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री वीर सिंह बुदियाल, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री भास्करानन्द पाण्डेय, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. श्री जी.पी. सिंह, महाप्रबन्धक, पेयजल निगम, मुख्यालय, देहरादून।
9. डॉ. विजय श्रीधर, दून विश्व विद्यालय, देहरादून।
10. सुश्री रचना पयाल, अधिसाशी अभियन्ता, शहरी विकास विभाग।
11. श्री दिग्विजय सेमवाल, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन सलाहकार, शहरी विकास विभाग।
12. श्री सुशील भट्ट, सहायक अभियन्ता, सिड्कुल।
13. श्री अशोक बंसल, अध्यक्ष, के.जी.सी.सी.आई. (वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)।
14. प्रो0 ए.काजमी, आई.आई.टी. रूड़की (वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से)।

अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर सर्वसम्मती से निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

कार्य सूची सं0	एजेन्डा बिन्दु	निर्णय
32.1	**31 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन व 31वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**	31वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
32.2	**उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2024–25 के बजट की स्वीकृति एवं वर्ष 2022–23 की आन्तरिक ऑडिट रिर्पोट के सम्बन्ध में।**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं निर्देश दिये गये कि बजट यूटिलाईज़ेशन प्लान 01 माह में अध्यक्ष, बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये।
32.3	**बोर्ड के नियमित कार्मिकों को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ दिये जाने सम्बन्ध में।**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
32.4	**बोर्ड द्वारा प्रख्यापित अनुमोदित ईधन के अन्तर्गत Low Sulphur Furnace Oil व वर्तमान में पैट कोक फ्यूल पर संचालित उद्योगों**	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

	में पैट कोक के उपयोग की समय सीमा को 31.03.2024 से बढ़ाकर 31.12.2024 किये जाने पर बोर्ड की कार्योत्तर स्वीकृति के सम्बन्ध में।	
32.5	बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न संस्थाओं को प्रचार प्रसार हेतु दी गई धनराशि से बोर्ड को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।
32.6	वर्ष 2023–24 से पूर्व विभिन्न संस्थाओं को दी गई धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में बोर्ड की धनराशि को वापस प्राप्त करने हेतु नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि जिन विभागों द्वारा बोर्ड से प्राप्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, उसके अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जाये। उक्त के साथ–साथ यह भी निर्णय लिया गया जिन विभागों द्वारा संतोषजनक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है उनको बोर्ड के किसी भी स्तर से तब तक कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी जब तक सम्बन्धित विभाग द्वारा संतोषजनक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है।
32.7	बोर्ड के कार्यो हेतु बोर्ड में आबद्ध किये गये सलाहकार व उनको दिये जाने वाले मानदेय से बोर्ड को अवगत कराये जाने एवं बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। भविष्य में बोर्ड के कार्यों हेतु यथा–आवश्यक आबद्ध किये जाने वाले सलाहकारों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत ToR तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
32.8	मुख्य पर्यावरण अधिकारी के वेतनमान को उच्चीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं यह निर्देश दिये गए कि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी पद का वेतनमान वेतन लेवल–13 में उच्चीकृत करने पर वही कार्मिक पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे जिनके द्वारा तकनीकी एवं वैज्ञानिक कैडर के समूह 'क' व 'ख' के पदों पर न्यूनतम 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, एवं मुख्य पर्यावरण अधिकारी से एक स्तर निम्न के पद पर अर्हकारी निर्धारित सेवा भी पूर्ण की गयी हो। तद्नुसार प्रस्तावित सेवा नियमावली में भी उक्त को सम्मिलित किया जाये व प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को अग्रेतर अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाये।
32.9	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नियमित कार्मिकों पर उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 17.02.20217 के कम में उक्त दिनांक से संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। अग्रेतर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जायेगा।
32.10	राज्य बोर्ड से सेवानिवृत्त हुये कार्मिकों को पूर्व से प्रचलित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय–समय पर

	उपस्थित होने हेतु उनके अन्तिम वेतन के अनुसार यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में।	जारी यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाये।
32.11	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में शासकीय आउटसोर्स संस्था के माध्यम से कार्मिक आबद्ध करते हुए प्रोजेक्ट मैनेजमैन्ट सैल बनाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी एवं निर्णय लिया गया कि यथा–आवश्यक अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से कार्यवाही की जाये।
32.12	क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी एवं क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पुराने भवन को ध्वस्त कर नवीन भवन बनाये जाने व क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर हेतु आवंटित भूमि पर कार्यालय भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
32.13	जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा चारधाम यात्रा मार्ग में अपशिष्ट प्रबन्धन एवं साफ–सफाई हेतु धनराशि ₹ 126.27 लाख के प्रस्ताव के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
32.14	मा0 एन0जी0टी0 द्वारा **E.A. No. 27/2023 in M.A. No. 54/2023 Urvashi Shobhna Kachari Vs. Union of India & Ors.** में पारित आदेशों के अनुपालन में ***"Scientific Study for Assessment of Carrying Capacity of Kedarnath, Hemkund Sahib, Gangotri & Yamunotari tracks of Uttarakhand"*** सम्बन्धी अध्ययन हेतु कार्योत्तर वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
32.15	बोर्ड द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न जन–जागरूकता कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन **Event Management Companies** को सूचीबद्ध करते हुए किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
32.16	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	
32.16.1	मा0 मुख्यमंत्री जी व बोर्ड मुख्यालय हेतु ई–वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गई एवं निर्णय लिया गया कि परिवहन विभाग के साथ बैठक कर अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से अग्रिम कार्यवाही की जाये।
32.16.2	बोर्ड मुख्यालय भवन के आधुनिकीकरण व नवीकरण के सम्बन्धमें।	प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
32.16.3	उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ग्रीन स्किल इन्टर्नशिप के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दी गयी एवं निर्णय लिया गया कि इन्टर्नशिप हेतु दिये जाने वाले मानदेय को पुनर्निर्धारित करते हुए अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से कार्यवाही की जाये।

32.16.4	स्टोनक्रेशर / स्क्रिनिंग प्लांट / खनन(आर.बी.एम.) / इन्डक्शन फर्नेस व रोलिंग मिल श्रेणी के उद्योगों के सहमति / प्राधिकार पर निर्णय लेने की शक्तियाँ सदस्य सचिव को प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि सुविचारित प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

अंत में सभी उपस्थित सदस्यों के धन्यवाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

अनुमोदित

(आर.के. सुधांशु)
अध्यक्ष

पत्रांकः यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा.–06(32वीं बोर्ड बैठक) / 2024 / 712, दिनांक – 13.09.2024

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन / अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, चिकित्सा, उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, राज्य पर्यावरण, संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय।
7. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण।
8. उपाध्यक्ष, झील विकास प्राधिकरण।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।
10. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर।
11. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कोटद्वार।
12. अध्यक्ष, कुमाऊ–गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, काशीपुर।
13. निदेशक, आई.आई.टी., रूड़की।
14. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
15. प्रबन्ध निदेशक, सिड्कुल।
16. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं विकास निगम, देहरादून।
17. बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागीगण।

सदस्य सचिव